455

GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA
(RAILWAY BOARD)

No. E(NG)I-2002/PM1/27 New Delhi, dated 8 .7.2002

The Director General,
R.D.S.O.,
Lucknow

Sub: ***Procedure for selection for promotion to Group 'C' selection post.***

✓ S.No.1

Reference your letter No. भर्ती/आर/एस पी dt. 14.5.2002 on the above subject..

2. It is clarified that so far as assessment of written test is concerned para 219(b) of IREM, Vol.I, 1989, envisages that an officer of the Department concerned should be nominated to set the question paper and another officer nominated to evaluate the answer books of the written paper. The officers nominated for these purposes are alone responsible for their respective action. It will not thus be in order to hold that the members of the selection board are collectively responsible for setting up of question paper for the written test and for evaluation of answer books of the written test. They are, however, collectively responsible for the overall selection proceedings especially in areas where the assessment/evaluation is common like viva-voce, evaluation of Confidential Reports/ Service Records, awarding of marks for seniority and for personality, address, leadership and academic/technical qualifications.

3. It is presumed that the matter stands clarified.

(J.S. Gusain)
Joint Director, Estt.(N)
Railway Board

D:R.D.S.O\Promo-Gr C-procedure.doc

S.No 2.

भारत सरकार
रेल मन्त्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं० ई० (एनजी) I-2002/पी०एम०1/27 नई दिल्ली, दि० 8-7-200

महानिदेशक
अनुसंधान अभिकल्प और
मानक संगठन
लखनऊ

विषय: समूह 'ग' के चयन पदों के लिए
चयन प्रक्रिया।

संदर्भ उपरोक्त विषय पर आपका पत्र सं० भर्ती/आर/एस पी दिनांक 14/5/2002

क्र०सं०।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि जहाँ तक लिखित परीक्षा के मूल्यांकन का संबंध है आई आर ई एम, वाल्यूम 1, 1989 का पेरा 219(b) स्पष्ट करता है कि संबंधित विभाग का एक अधिकारी प्रश्न पत्र बनाने के लिए नामित किया जायेगा और एक अन्य अधिकारी लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए नामित किया जायेगा। नामित किये गए अधिकारी अपने संदर्भित कार्य के लिए अकेले जिम्मेदार होंगे। यह सही नहीं होगा कि लिखित परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र बनाने और लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए चयन बोर्ड के सभी सदस्यों को सामूहिक रूप से जिम्मेदार ठहराया जाये। यद्यपि वे चयन की संपूर्ण गतिविधियों के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार होंगे, विशेष रूप से वे क्षेत्र जहाँ पर आकलन/मूल्यांकन सामूहिक है, जैसे मौखिक परीक्षा, गोपनीय रिपोर्ट/सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन, वरिष्ठता के लिए अंक देने में और व्यक्तित्व, संबोधन, नेतृत्व व शैक्षिक/तकनीकी योग्यता के संदर्भ में।

3. ऐसा अनुमानित है कि मामला सुलझा समझा जाए।

(हस्ताक्षर)
(जे. एस. गुसाई)
सयु० निदे०, स्था० (अराज)
रेलवे बोर्ड।

का० प०

ई० जारी करें।
9/7

8/7